विमुक्त और घुमंतू जन समुदाय की दशा और दिशा

डॉ. शिंदे मालती धौंडोपन्त
सहयोगी प्राध्यापक
नारायणराव वाघमारे महाविद्यालय, आ.बालापुर
ता. कलमनुरी,जी.हिंगोली (महाराष्ट्र) 431701
e-mail_ shindemd2010@gmail.com
Mob- 9421867650

सारंश

- विमुक्त जनजातियाँ वे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किये गए आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत पूरी आबादी को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया गया था।
- घुमंतू जनजातियाँ निरंतर भौगोलिक गतिशीलता बनाए रखती हैं, जबकि अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ वे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही तो करती हैं, किंतु वर्ष में एक बार मुख्यतः व्यावसायिक कारणों से अपने निश्चित निवास स्थान पर ज़रूर लौटती हैं।

बीज शब्द- घुमंतू, विमुक्त, समुदाय।

प्रस्तावना

1. वे लोग जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता और जिसके कारण वे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं
2. जो बहुत घूमता हो
3. जिसके रहने अथवा ठहरने का कोई निश्चित स्थान नही अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश: "घुमंतू" शब्द के बारे में जानकारी। व्याकरण, विलोम, पर्यायवाची और वाक्य प्रयोग के साथ हिंदी भाषा में "घुमंतू" का अर्थ और अनुवाद जानें। हिंदी में "घुमंतू" का अर्थ क्या है? "घुमंतू"
4. बताते चलें कि ब्रिटिश हुकूमत ने जिन कट्टर सशस्त्र विद्रोही समुदायों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था और भारत सरकार ने आजादी के 5 वर्ष बाद 31 अगस्त 1952 को ब्रिटिश हुकूमत के काले कानून क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट से मुक्त कर दिया था, अब वे **विमुक्त** जनजातियां कहलाती हैं।

हैदराबाद में बीते 24-25 दिसंबर 2018 को विमुक्त व घुमंतू जनजातियों के मुद्दों को लेकर दो दिवसीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। देश भर से इस समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आपस में एकजुट होकर 'एक जाति, एक रिजर्वेशन' की मांग पुरजोर तरीके से रखने का फैसला किया। फारवर्ड प्रेस की खबर : **विमुक्त,** घुमंतू व अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के लोगों ने अपनी पहचान और अपने अधिकारों को लेकर गोलबंद होना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में हैदराबाद में दो दिवसीय परिचर्चा बीते 24-25 दिसंबर 2018 को संपन्न हुई। देश भर से आए इन समुदायों के प्रतिनिधियों ने परिचर्चा के दौरान एक सुर में इस बात पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की कि हम सब वे जनजातियां हैं, जिन्हें सरकार ने विमुक्त करार दिया है। देश भर में इन समुदायों के लोग हैं, जो अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं।दो दिवसीय परिचर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि जिन जनजातियों का संविधान में नाम तक नहीं है, उन्हें संविधान में जगह देने के लिए सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से मांग रखी जाए। इसके तहत संविधान में धुमंतू जनजाति, अर्द्ध-घुमंतू और विमुक्त जनजाति, ये तीन शब्द तत्काल जोड़े जाएं। इसके साथ ही इन जनजातियों की जनगणना कराई जाए, ताकि पता चल सके कि पूरे भारत में कहां-कहां और कितने-कितने इन जनजातियों के लोग हैं। अभी तक इस तरह की कोई जनगणना नहीं हुई है। बालकृष्ण रेणके कमीशन[1] का हवाला देकर बताया गया कि लगभग 20 राज्यों में डीएनटी की आबादी है। हालांकि, एक अन्य इदाते कमीशन का हवाला देकर बताया गया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी घुमंतू जनजातियों के लोग हैं।[2] बैठक में इसके अलावा इस बात पर भी आपत्ति व्यक्त की गई कि खानाबदोश विमुक्त, घुमंतू जनजातियों के लोगों के लिए कोई योजनाएं क्यों नहीं हैं? जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं। वक्ताओं के मुताबिक, हालत यह है कि घुमंतू लोग कहीं डीएनटी, तो कहीं एनटी, तो कहीं एसएनटी कहे जाते हैं। इतना ही नहीं कहीं ये जनजातियां ओबीसी, तो कहीं एससी, तो कहीं अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल हैं। मुस्लिम समुदाय में भी

डीएनटी हैं। इसमें घुमंतू वे लोग हैं, जो कलंदर हैं, सपेरा हैं। ये सभी आदिवासी लोग थे, लेकिन किसी कारण से इन सबने मुस्लिम धर्म अपना लिया। आज इनकी स्थिति यह है कि अभी तक मुस्लिम समाज ने इन्हें स्वीकार नहीं किया है और इन्हें घर के दरवाजे तक नहीं जाने दिया जाता है।नेशनल कैंपेन फॉर डीएनटी राइट्स से जुड़े डांडी वेंकट ने बताया, *"वे लोग राष्ट्रीय स्तर पर इन जातियों को जोड़ने के लिए संगठन खड़ा करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के भारत विटकार व वो खुद इस काम में जुट गए हैं, ताकि 'एक जाति एक रिजर्वेशन' की मांग वो पुरजोर तरीके से कर सकें। उन्होंने बताया कि इन घुमंतू जनजातियों की स्थिति का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इन्हें ओबीसी की श्रेणी में रखा हुआ है, तो वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़ व दिल्ली में एससी श्रेणी में आते हैं। इसलिए हम लोग 'एक जाति एक रिजर्वेशन' की मांग कर रहे हैं, ताकि सभी जातियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके*नेशनल एलायंस ऑफ डिनोटिफाइड नोमेडिक एंड ट्राइब्स आर्गेनाइजेशन के संयोजक सुब्बा राव ने कहा, *"घुमंतू विमुक्त जनजातियों की अनदेखी अब बिलकुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब केवल बातों व आश्वासनों से काम नहीं चलने वाला है। हम घुमंतुओं और विमुक्तों को भी रीप्रजेंटेशन चाहिए। दलितों, अनुसूचित जातियो -जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्ग का रीप्रजेंटेशन जब अलग-अलग है, तो घुमंतुओं का क्यों नहीं? हम हिन्दू नहीं हैं, हम डीनोटिफायड ट्राइब्स हैं। हमें न तो एससी के हिस्से का लाभ चाहिए, न एसटी समुदाय का और न ही ओबीसी वर्ग का। हमें अलग से रिजर्वेशन चाहिए; एक जाति-एक रिजर्वेशन के तहत। हम सब अपनी बिरादरी विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए प्रतिबद्ध हैं और राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम शुरू की जा रही है, ताकि दूर-दराज बैठे इस समुदाय के लोगों को भी एक छतरी के नीचे लाया जा सके।"* सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने हाल ही में संसद को सूचित किया है कि वर्ष 2019 में देश में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिये विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNCs) का गठन किया गया था।

- कल्याण बोर्ड का गठन तीन वर्ष की अवधि के लिये किया गया था, जिसे अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

खानाबदोश/घुमंतू जनजातियों के समक्ष मौजूद चुनौतियाँ

- रेनके आयोग (2008) द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की मानें तो भारत में लगभग 1,500 घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ और 198 विमुक्त जनजातियाँ हैं, जिनमें तकरीबन 15 करोड़ भारतीय शामिल हैं।
    - ये जनजातियाँ अब भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हाशिये पर मौजूद हैं और इसमें से कई जनजातियाँ अपने मूल मानवाधिकारों से भी वंचित हैं।
- सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा उनकी पहचान को लेकर है।
- **बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं का अभाव:** इन समुदायों के सदस्यों के पास पेयजल, आश्रय और स्वच्छता आदि संबंधी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित रहते हैं।
- **स्थानीय प्रशासन का दुर्व्यवहार:** विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के संबंध में प्रचलित गलत और अपराधिक धारणाओं के कारण आज भी उन्हें स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है।
- **सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव:** चूँकि इन समुदायों के लोग प्रायः यात्रा पर रहते हैं, इसलिये इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता है। नतीजतन उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवर का अभाव होता है और उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि भी नहीं जारी किया जाता है।

- इन समुदायों के बीच जाति वर्गीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है, कुछ राज्यों में इन समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में उन्हें अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के तहत शामिल किया जाता है।
- हालाँकि इन समुदायों के अधिकांश लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होता और इसलिये वे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठा पाते हैं।विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों हेतु कल्याणकारी एवं विकास कार्यक्रम तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करना।
- उन स्थानों/क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ ये समुदाय निवास करते हैं।
- मौजूदा कार्यक्रमों तक इन समुदायों की पहुँच में मौजूद अंतराल का आकलन करना और उसकी पहचान करना, इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सहयोग के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि मौजूदा कार्यक्रम इन समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करें।
- विमुक्त, घुमंतू व अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के संदर्भ में भारत सरकार और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की योजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा मूल्यांकन करना।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों से संबंधित योजनाएँ

- **डीएनटी के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति**
    - यह केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
    - इसके तहत पात्रता के लिये आय सीमा प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
    - यह योजना राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। योजना का वित्तपोषण केंद्र और राज्य द्वारा 75:25 (केंद्र:राज्य) के अनुपात में किया जाता है।
    - यह योजना विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के बच्चों विशेषकर बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में सहायक है।
- **डीएनटी बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:**
    - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
    - योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले DNT छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान कर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
    - इसके तहत पात्रता के लिये आय सीमा प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है।
    - केंद्र सरकार पूरे देश में प्रतिवर्ष अधिकतम 500 सीटें प्रदान करती है।
    - योजना का व्यय केंद्र और राज्य के बीच 75:25 (केंद्र:राज्य) के अनुपात में साझा किया जाता है।

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदाय

- विमुक्त जनजातियाँ वे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किये गए आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत पूरी आबादी को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया गया था।
    - वर्ष 1952 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और समुदायों को विमुक्त कर दिया गया।
- घुमंतू जनजातियाँ निरंतर भौगोलिक गतिशीलता बनाए रखती हैं, जबकि अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ वे हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही तो करती हैं, किंतु वर्ष में एक बार मुख्यतः व्यावसायिक कारणों से अपने निश्चित निवास स्थान पर ज़रूर लौटती हैं।

घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के बीच अंतर करने हेतु विशिष्ट जातीय या सामाजिक-आर्थिक मानकों को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि यह उनकी गतिशीलता से प्रदर्शित होती है।राजस्थान "डीएनटी बोर्ड" के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत के अनुसार जीवनभर घूमने के चलते बंजारा समुदाय "सफर" का पर्याय बन गया है। ब्रिटिश काल में 1859 के "नमक कर विधेयक" के कारण बंजारों का नमक का पैत्रक व्यवसाय छिन्न भिन्न हो गया और आज ये लोग घूम घूमकर गोंद, कम्बल, चारपाई जैसे सामान बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान के गाड़िया लोहार भी ऐसी घुम्मकड जाति है जो अपना घर बनाकर नहीं रहती, बल्कि कलात्मक बैल गाड़ी में चलता फिरता घर बनाकर घूमते रहते हैं। इस जाति का दर दर भटककर लोहे का काम करने के कारण ही इन्हें "गाड़िया लोहार" कहा जाता है। राजस्थान की अन्य घुमंतू जाति रेबारी को राइका, गोपालक, देवासी, देसाई इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये लोग मुख्यत: पशुपालक रहे हैं और पशुओं को लेकर देश के दूर दराज क्षेत्रों में घूमते रहते हैं तथा ज्यादातर झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। देश का जन जन इन जातियों की जीवन शैली को देखकर मानता है कि ये घुमंतू हैं। लेकिन बीजेपी की राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का सर्वे इन्हें घुमंतू जाति नहीं मानता। यह बीजेपी सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्टा है और दिमागी दिवालियापन है। मौजूदा सरकार इन जातियों की मूल पहचान को छिपाकर और सर्वे के नाम पर भ्रम पैदा करके इन जातियो को आरक्षण से वंचित कर दूसरी प्रभावशाली जातियो आरक्षण का लाभ देना चाहती है जिसे घुमंतू समाज बर्दास्त नहीं करेगा।

केसावत के अनुसार राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के समय "नवजीवन योजना" तथा राज्य सरकार का "डीएनटी बोर्ड" गठित करके घुमन्तु समाज को मुख्यधारा में लाने के प्रयास शुरू हुए थे। लेकिन वर्तमान वसुन्दराराजे जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने "डीएनटी बोर्ड" के काम को ठप्प कर दिया है। "नवजीवन योजना" भ्रस्ताचार की भेंट चढ़कर पंगू हो चुकी है। वर्तमान शासन में घुमंतू समाज पर जुल्म और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार समाज कंटकों द्वारा डीएनटी समाज की बस्तियों में आगजनी करने, उनकी जमीन हडपने, मारपीट करने, महिलाओं के साथ छेड़खानी व अभद्र व्यवहार करने, डीएनटी जातियों को पुलिस द्वारा बेवजह प्रताड़ित करने और झूठे मुकदमों में फंसाने इत्यादि की घटनाएँ बढ़ती ही जा रही हैं। गोपाल केसावत ने कहा है कि डीएनटी समाज इस सुनियोजित अपमान और अत्याचार को सहन नहीं करेगा। अब देश और प्रदेश का डीएनटी समाज लगातार जाग्रत होकर संघठित हो रहा है और अपने सम्मान व हक़ के लिए आगामी विधानसभा व लोक सभा चुनावों में एकजुट होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने को तत्पर है। राजनितिक दलों द्वारा यदि डीएनटी समाज को उसकी आबादी के अनुपात में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है।तो डीएनटी समाज मुँह तोड़ जवाब देगा।बालकृष्ण रेनके आयोग" की सिफारिशों को आज तक लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में नरेन्द्र मोदी जी की बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में होते हुए भी "रेनके आयोग" की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही है। उलटा उन्होंने घुमंतू जातियों का पुन: सर्वे करने के नाम पर एक दूसरा आयोग बनाकर घुमंतू समाज को गुमराह करने का काम किया है। पिछले वर्ष मोदीजी की सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले इस "राष्ट्रीय विमुक्त, घुमंतू व अर्द्ध घुमंतू जनजाति आयोग" द्वारा किये गए सर्वे की सूची में राजस्थान की घुमंतू जातियो जैसे – रेबारी, बंजारा और गाड़िया लोहार इत्यादि को शामिल नहीं किया गया है। इस केन्द्रीय आयोग के नेतृत्व में तीन साल से घुमंतू जातियो को जोड़ने का सर्वे चल रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार की सिफारिश के अभाव में इन जातियों को घुमंतू श्रेणी की न मानना बीजेपी सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। बीजेपी सरकार के सर्वे न जाने किस तकनीक और तथ्यों के आधार पर

किये जाते हैं जो उन्हें मुख्यधारा से प्रथक रेबारी, बंजारा और गाडिया लोहार जैसी जातियाँ घुमंतू नजर नहीं आ रही हैं। इन तीन जातियों का मामला तो मिडिया में उजागर हो गया है, किन्तु ऐसी आशंका है कि इन जातियों के अलावा भी गलत सर्वे के कारण कई अन्य घुमंतू जातियां भी केंद्रीय डीएनटी आयोग की सूची में शामिल होने से वंचित हो सकती हैं**सुशील पांडेय, भोपाल।** देश में नागर, लोक और अरण्यक जातियों की संस्कृति, ज्ञान परंपरा, कला बोध पर विमर्श होते आ रहे हैं, किंतु घुमंतू समुदायों और उनकी संस्कृति पर न के बराबर अध्ययन उपलब्ध है, जबकि मध्य प्रदेश में ही करीब 30 प्रकार की घुमंतू जनजातियां निवासरत हैं।17 अगस्त 2018,जयपुर

जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान "डीएनटी बोर्ड" के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत ने कहा कि

भारत में घुमंतू , विमुक्त व अर्द्ध घुमंतू समुदाय (DNT Community) की आबादी लगभग तीस करोड़ और राजस्थान में लगभग एक करोड़ से ज्यादा है। राजनीतिक दृष्टि से यह समुदाय एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इस समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आजादी के आन्दोलन का गौरवशाली इतिहास रहा है। 1857 की क्रांति के दौरान डीएनटी समुदाय की अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी भूमिका की गवाह वर्तमान में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट है। इस कोर्ट ने 1857 की क्रांति के तीस हजार क्रांतिकारियों को फाँसी की सजा सुनाई थी, जिसमें अधिकांश क्रांतिकारी डीएनटी समुदाय से थे। इसी आधार पर इस कोर्ट का नाम तीस हजारी पड़ा। 1857 की क्रांति के बाद भी डीएनटी समुदाय अंग्रेजों के विरुद्ध निरंतर विद्रोह करता रहा, जिसे नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने इस बहादुर कौम को 1871 में "क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट" के तहत बंदी जीवन जीने के लिए विवश कर दिया था। देश की आजादी के बाद पं. जवाहरलाल नेहरु और तत्कालीन कांग्रेस के अन्य प्रादेशिक नेताओं के प्रयासों से इन्हें 31अगस्त 1952 को क्रीमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्ति मिली। 06 अप्रैल 1955 को पं. जवाहर लाल नेहरु ने ही डीएनटी समुदाय को चित्तोढ़गढ़ के किले में प्रवेश कराकर उन्हें अपने गौरवशाली अतीत से रूबरू कराया था तथा डीएनटी समुदाय के हाथों से "विजय स्तंभ" पर तिरंगा पहनवाकर डीएनटी समुदाय के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की थी।दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी आज डीएनटी समाज सामाजिक, शेक्षणिक, राजनीतक और आर्थिक मोर्चे पर देश की मुख्यधारा से प्रथक रह गया है और एक तरह से बहिस्कृत जीवन जीने के लिए विवश कर दिया गया है। करोड़ों की आबादी होते हुए भी डीएनटी समाज का एक भी व्यक्ति MLA और MP नहीं बन पाया है। बने भी कैसे ? राजनीतिक दल डीएनटी समाज को टिकिट ही नहीं देते हैं। आज घुमंतू समाज के लोग अशिक्षित, बेरोजगार और बेघर रहकर बेइज्जत हैं तथा राजनीतिक व्यवस्था के एजेंडे से कोसों दूर रहकर खुले आसमान, पुलों के नीचे और तरपालों में अपना जीवन जीने को विवश हैं।

2006 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार ने बालकृष्ण रेंके की अध्यक्षता में " डीएनटी आयोग " बनाया था, जिसकी रिपोर्ट 2008 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो गई थी। आयोग की कई सिफारिशे थी ,उन्ही सिफारिशों को लागू करवाने की मांग समस्त डीएनटी समुदाय करता है

(1) डीएनटी समाज के लिए शिक्षा और नौकरी में अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण हो।

(2)अलग बजट का प्रावधान हो।

(3) डीएनटी जातियों का अलग से मंत्रालय हो।

(4) डीएनटी जातियों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलें जाएँ।

(5) डीएनटी जातियों के रहने के लिए जमीन और मकान बनाकर दियें जाएँ।

(6) डीएनटी जातियों का स्थायी आयोग बनाया जाय।

(7) पंचायत स्तर पर डीएनटी गाँवों को राजस्व गाँव घोषित किये जाए

(8) राजस्थान में घुमन्तू समुदाय आज भी पहचान के संकट से जूझ रहा है ,कहीं उसे राशन कार्ड नहीं मिलता है तो कहीं जाति प्रमाण पत्र के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है,यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि आज भी घुमन्तू समुदाय देश का नागरिक होने की पहचान से वंचित है ,सरकार विदेश से आये लोगों के लिए एनआरसी बना रही है मगर जो लोग हजारों साल से इसी जमीन के बाशिंदे है ,उनका कोई रिकॉर्ड नही रखना चाहती ,हम मांग करते है कि देश भर के घुमन्तू समुदायों की वास्तविक गणना हो तथा

उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में हर क्षेत्र में भागीदारी दी जाये।

(9) घुमन्तू समुदाय की आजीविका ,आवास तथा श्मशान आदि की समस्याओं का तुरन्त हल किया जाये, अकसर यह देखा गया है कि घुमन्तुओं के पास न रहने को प्लॉट है,न खेती या व्यापार के लिए जमीन है ,हालात इस कदर बुरे है कि मरने के बाद दो गज जमीन तक नसीब नहीं हो रही है ,ऐसे में एक भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान प्रदत्त जीने के अधिकार का इस वर्ग के लिए कोई मतलब नहीं रह गया है ,अतः हमारी मांग है कि प्रत्येक घुमन्तू को आवासीय,व्यावसायिक भूखण्ड दिया जाये तथा इस वर्ग के लिए सार्वजनिक उपयोग और शमसान आदि के लिए अलग से जमीनों का आवंटन हो

(10) घुमन्तू समुदाय विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है,उसकी कुछ उपजातियां अनुसूचित जाति में तो कुछ जनजाति में ,कोई अन्य पिछड़े वर्ग में तो कोई सामान्य ,यहां तक कि विभिन्न धर्मों में है ,लेकिन सबकी समस्याएं एक जैसी है ,हालात एक जैसे है ,इसलिए हमारी मांग है कि देश भर के तकरीबन 700 घुमन्तू, अर्धघुमंतू और विमुक्त समुदायों को मिलाकर एक अलग घुमन्तू कैटेगरी बनाई जाये और उनको सत्ता ,संसाधनों में समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाये।

(11) राजस्थान,मध्यप्रदेश,छतीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में घुमन्तु समुदाय को उनका हक सुनिश्चित किया जाये,राजस्थान में 50 सीटें विभिन्न दल इस समुदाय को दे,ऐसी मांग हम रख रहे है।

(12)घुमंतुओं की परिस्तिथियों के मद्देनजर उनको बीपीएल में लिया जाए,खाद्य सुरक्षा के तहत कवर किया जाये,सबको निशुल्क आवासीय व व्यवसायिक भूखंड मिले ,सबको नागरिकता का प्रमाण पत्र मिले,सबको न्याय व समान अवसर प्राप्त हो ,यह घुमंतुओं का मुक्ति संग्राम है,इसी सिलसिले में 31 अगस्त 2018 को घुमन्तु मुक्ति दिवस बड़े पैमाने पर शाहपुरा,भीलवाड़ा में आयोजित किया जायेगा ।

(13)अखिल भारतीय स्तर पर मुक्ति दिवस समारोह के लिए केंद्र व राज्य सरकारे 31 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करेप्राचीन काल से ही भारत की लोक कला एवं लोक संस्कृति को संजोए रखने में विमुक्त घुमंतू व अद्र्ध घुमंतू जनजातियों की अहम भूमिका रही है। इसके बावजूद आजादी के 74 सालों बाद भी हमारे देश तथा समाज का ध्यान इन जनजातियों की तरफ नहीं गया है, जबकि हम सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि इन्हीं लोगों के क्रांतिकारी सहयोग की वजह से हम आजाद भारत का हिस्सा बने हैं। यह हमारे देश की विडंबना है कि इन जनजातियों की कुल आबादी का 10 प्रतिशत हिस्सा भी हमारे समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है तथा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। भारत की विमुक्त घुमंतू एवं अद्र्ध घुमंतू जनजातियों में करीब 840 जातियां शामिल हैं। देश की आजादी के बाद से अब तक इन समुदायों के लिए महज 8 आयोग बने हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से घुमंतू जनजातियों को पिछड़ेपन की सूची में शामिल करने एवं सुरक्षित आरक्षण की सिफारिश की है, परंतु इस समुदाय की राजनीतिक भागीदारी नगण्य होने के कारण किसी भी आयोग की रिपोर्ट को संसद में पेश नहीं किया गया। घुमन्तु समुदाय के लिए यूपीए सरकार द्वारा गठित बालकृष्ण रेनके आयोग व एनडीए सरकार द्वारा गठित दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट अभी तक ससंद में पेश नहीं की गई है।

यह भी देखें: <u>भारत का घुमन्तु समुदाय आखिर कब तक अपने होने न होने का सबूत देता रहेगा?</u>

दरअसल संसद के मानसून सत्र में 'बालकृष्ण रेनके आयोग' और 'दादा इदाते आयोग' की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में पूर्व राज्यमंत्री गोपाल केसावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जोगाराम को ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन के अंतर्गत यह मांग की गई थी कि बालकृष्ण रेनके आयोग व दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट को संयुक्त रूप से मानसून सत्र में संसद में रखकर लागू किया जाए। सरकारी नौकरियों में विमुक्त, घुमंतू तथा अर्द्ध घुमंतु जनजातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण सुरक्षित किया जाए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से तबाह हुई घुमंतू और अर्द्ध घुमंतु जनजातियों के लिए एक हजार करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। साथ ही विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जनजाति भारत में सर्वाधिक रूप से पिछड़े व वंचित हैं।

इसलिए स्थाई आयोग का गठन करना चाहिए और आयोग में विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू से संबंधित जातियों के व्यक्तियों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया. जबकि 20 करोड़ विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की कोई फ़िक्र किसी भी राजनीतिक दल और सरकार को नहीं है. केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया. जबकि 20 करोड़ विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की कोई फ़िक्र किसी भी राजनीतिक दल और सरकार को नहीं है.

केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया. जबकि 20 करोड़ विमुक्त और घुमंतू जनजातियों की कोई फ़िक्र किसी भी राजनीतिक दल और सरकार को नहीं है. जातिवार जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों की आबादी 15 करोड़ है (जबकि वर्तमान समय में इनकी वास्तविक आबादी 20 करोड़ से अधिक है). यह विशाल समुदाय भारत की आज़ादी के बाद भी आज तक सामाजिक न्याय से पूरी तरह वंचित एवं विकास की धारा से कोसों दूर है.

विमुक्त जनजातियों के साथ जो उपेक्षा सरकारों यहां तक कि सामाजिक न्याय के ध्वजवाहकों ने की है, वह वास्तव में चिंता और चिंतन का विषय है.

आख़िर कौन है विमुक्त जनजातियां इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि ब्रिटिश हुकूमत ने जिन कट्टर सशस्त्र विद्रोही समुदायों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था और भारत सरकार ने आज़ादी के 5 वर्ष बाद 31 अगस्त 1952 को ब्रिटिश हुकूमत के काले कानून क्रिमिनल ट्राईब्स एक्ट से मुक्त कर दिया था, अब वे विमुक्त जनजातियां (Denotified Tribes) कहलाती हैं.

अंग्रेजों की प्रसारवादी नीतियों के विरुद्ध स्थानीय कृषक जातियों/जनजातियों ने अपने-अपने स्तर और क्षमता के अनुसार सशस्त्र विद्रोह किए थे. किन्तु इतिहास की पुस्तकों में उन्हें वह स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था.

भारत सरकार ने कुछ आयोग एवं कमेटियों का गठन किया था. उन्होंने भी यह माना था कि विमुक्त समुदाय एक विशिष्ट वर्ग है, जिन्हें ब्रिटिश विद्रोह के कारण जन्मजात अपराधी के रूप में कलंकित होना पड़ा.

उन्होंने यह भी माना कि इनके उत्थान के लिए अलग से उपाय किए जाने चाहिए. विभिन्न शोधकर्ता, इतिहासकार एवं विद्वान स्पष्टत: यह स्वीकार करते हैं कि विमुक्त जातियां ब्रिटिश हुकूमत की सशस्त्र विद्रोही थीं, ये वास्तविक स्वातंत्र्य योद्धा थे.

इनके ऊपर जन्मजात अपराधी होने का कलंक लगाना अमानवीय है. ये समुदाय ब्रिटिश सरकार की नज़र में अपराधी हो सकते हैं, किंतु भारत के लिए वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे.

जबकि घुमंतू जनजातियां भारतीय (हिंदू) संस्कृति की रक्षक थीं और आज भी हैं. घुमंतू समुदाय गाड़िया लोहारों के त्याग, बलिदान और दृढ प्रतिज्ञ हिंदू संस्कृति के महान रक्षकों को कौन नहीं जानता? आज उनकी स्थिति बद से बदतर है किन्तु अधिकांश प्रांतीय सरकारें उन्हें अपने प्रांत का नागरिक भी नहीं मानतीं.

ISSN : 2581-8848

विश्व के लगभग 53 देशों में अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट केवल भारत में लागू किया गया था. इसकी पृष्ठभूमि में अंग्रेज़ों की धारणा यह थी कि जिस तरह से भारत में जातिगत व्यवसाय होते हैं जैसे लोहार का लड़का लोहार होता है, बढ़ई का लड़का बढ़ई, चिकित्सक का लड़का चिकित्सक, इसी तरह अपराधी की संतानें अपराधी ही होती हैं. क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन्क्वायरी कमेटी (अयंगर कमेटी- 1949-50) ने अपना अभिमत व्यक्त किया है कि क्रिमिनल ट्राइब्स को दो भागों में बांटा जा सकता है. एक वह है जो एक ही स्थान पर निवास करते थे और आवश्यकता पड़ने पर ये लोग युद्ध किया करते थे, इनमें से कुछ को आक्रमणों के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित भी होना पड़ा था.

दूसरे जिप्सियों की भांति घुमंतू थे जैसे सांसी, कंजर, नट आदि. साथ ही अन्य जनजातियां जो काम की तलाश में या भिक्षाटन के लिए भटकती रहती थीं, जैसे बेलदार, बंजारा आदि.